उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE
Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-927/2015 110650 Date: 4 JUN 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS**, the recognition was granted by NRC to **Saraswati Mahavidyalaya, Sainpur, Bhainsol (Achhalda) District - Auraiya, State – Uttar Pradesh** for **B.Ed. Course** vide order No. F. NRC/NCTE/F-3/UP-**927/2003/4683-4691 dated 01.10.2003 with an annual intake of 100 seats from the academic session 2003-2004.**

3. **AND WHEREAS**, the institution **Saraswati Mahavidyalaya, Sainpur, Bhainsol (Achhalda) District - Auraiya, State – Uttar Pradesh** has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS**, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by **20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails** to comply with these requirements, **the institutions shall not be permitted to admit students** for the academic year 2016-2017.

(iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc. the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. **Now therefore**, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Saraswati Mahavidyalaya, Sainpur, Bhainsol (Achhalda) District - Auraiya, State – Uttar Pradesh** for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Cont. 2

अध्यक्ष / प्रबन्धक
सरस्वती म... ...

8. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left of joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if is so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act. Rules. Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,

(Dr. S.K. Chauhan)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to:-

1. The Principal, **Saraswati Mahavidyalaya, Sainpur, Bhainsol (Achhalda) District - Auraiya, State – Uttar Pradesh.**
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P. , Directorate, Allahabad, U.P.
4. The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
5. The Registrar, Chhatrapati Shahu JI Maharaj (CSJM) University, Kalyan Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file

Regional Director

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0, इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 245 /2013–14 दिनांक 27-4-13

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1100/15–11–2013 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल 2013 के अनुपालन में सरस्वती महाविद्यालय, ग्वालियर रोड़, नियर टिक्सी टेम्पिल, इटावा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे। जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्था को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012–13 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 2674-82 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल, कानपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।
8. सचिव/प्रबन्धक, सरस्वती महाविद्यालय, ग्वालियर रोड़, नियर टिक्सी टेम्पिल, इटावा।
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

अध्यक्ष-प्रबन्धकारिणी समिति
जय बजरंग ग्राम विकास एवं शिक्षा प्रसार समिति
257, प्रेमनगर, स्टेशन रोड, इटावा (उ०प्र०)

अध्यक्ष / प्रबन्धक
सरस्वती महाविद्यालय
नियर टिक्सी टैम्पिल, इटावा (उ०प्र०)

अध्यक्ष / प्रबन्धक
सरस्वती महाविद्यालय
नियर टिक्सी टैम्पिल, इटावा (उ०प्र०)

70

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/सम्बद्धता/ 20415-22 /2016-17 दिनांकः 10 नवम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 2280/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 22.09.2016 द्वारा निजी संस्थान सरस्वती महाविद्यालय, प्लाट नं0- 1756/2, ग्राम- इटावा, पो0- इटावा, जनपद- इटावा को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यो के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 से 03.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध मे एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 / सम्बद्धता/ /2016-17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इटावा।
7. प्रबन्धक/सचिव, सरस्वती महाविद्यालय, प्लाट नं0- 1756/2, ग्राम- इटावा, पो0 इटावा जनपद-- इटावा।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

अध्यक्ष-प्रबन्धकारिणी समिति
जय बजरंग ग्राम विकास एवं शिक्षा प्रसार समिति
267, प्रेमनगर, स्टेशन रोड, इटावा (उ0प्र0)

अध्यक्ष / प्रबन्धक
सरस्वती महाविद्यालय
नियर टिक्सी टैम्पिल, इटावा (उ0प्र0)

अध्यक्ष / प्रबन्धक
सरस्वती महाविद्यालय
नियर टिक्सी टैम्पिल, इटावा (उ0प्र0)

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

F. No./NRC/NCTE/UP-927/2015 /120634

Date: 10 AUG 2015

CORRIGENDUM ORDER

As per letter No. NRC / NCTE / UP-927 / 200th Meeting / 2012 / 25377 dated 06.07.2012 issued by NRC regarding shifting of premises, the address i.e. **Saraswati Mahavidyalaya, Sainpur, Bhainsol (Achhalda), District – Auraiya, State – Uttar Pradesh** mentioned in the revised recognition order No. NRC/NCTE/UP-927/2015/110650-55 dated 04.06.2015 issued to **Saraswati Mahavidyalaya, Sainpur, Bhainsol (Achhalda), District – Auraiya, State – Uttar Pradesh** be read as **Gata No. 1756/2, Near Tixi Temple, District – Etawah, Uttar Pradesh.**

By Order,

10/8/15

(Dr. S. K. Chauhan)
Regional Director

The Manager to Govt. of India.
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to:-

1. The Principal, **Saraswati Mahavidyalaya, Gata No. 1756/2, Near Tixi Temple, District – Etawah, Uttar Pradesh.**
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
3. The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
4. The Registrar, C.S.J. M. University, Kanpur, Uttar Pradesh.
5. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
6. Office order file/ Institution file.

Regional Director

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail. : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

न्यायालय उप जिलाधिकारी इटावा।

वाद सं0 02/08-09 धारा 143 जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट

मौजा कस्बा इटावा परं0 व पर0 इटावा।

सरस्वती महाविद्यालय इटावा बनाम नगर पालिका परिषद इटावा आदि

आदेश

उपर्युक्त वाद सरस्वती महाविद्यालय इटावा द्वारा अध्यक्ष प्रबन्ध समिति श्री रमाकान्त त्रिपाठी पुत्र रमेश चन्द्र त्रिपाठी नि0 भैसोल जिला औरैया के प्रा0 पत्र दि0 27-08-2008 पर जॉचोपरान्त तहसीलदार इटावा की रिपोर्ट दि0 09-10-08 /25-11-2008 के आधार पर संस्थित हुआ है। तहसीलदार इटावा ने अपनी उक्त रिपोर्ट नियम 135 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कहा है कि ग्राम कस्बा इटावा के खाता सं0 138 के गाटा सं0 1756/2 रकवा 0.8090 हे0 मालगुजारी 26-00 रुपए में से रकवई 0.5670 हे0 मालगुजारी 18-20 रू0 मे कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नही हो रहा है, आबादी के प्रयोजन की भूमि है; अन्त में उक्त गाटा में आबादी घोषित करने की रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत की गई।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उभय पक्षों को नोटिस जारी किया गया। द्वितीय पक्ष के रूप में नगर पालिका परिषद इटावा पर नोटिस की तामीली है लेकिन उनके द्वारा कोई तथ्य/आपत्ति प्रस्तुत नही की। दूसरी ओर वादी द्वारा उक्त गाटा सं0 में आबादी घोषित करने का अनुरोध किया।

मैंने तहसीलदार इटावा की रिपोर्ट दि0 09-10-08/25-11-2008 के अनुक्रम में वादी को सुना। तहसीलदार इटावा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कस्बा इटावा के खाता सं0 138 के गाटा सं0 1756/2 रकवई 0.5670 हे0 मालगुजारी 18-20 रू0 आवेदक के पूर्ण स्वामित्व का है मे कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है, को आबादी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार इटावा की रिपोर्ट दि0 09-10-08/25-11-2008 के अनुसार सरस्वती महाविद्यालय इटावा द्वारा अध्यक्ष प्रबंध समिति श्री रमाकान्त त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी जिला भैसाल को ग्राम कस्बा इटावा के खाता सं0 138 के गाटा सं0 1756/2 रकवा 0.8090 हे0 मालगुजारी 26-00रुपए में से रकवा 0.5670 हे0 मालगुजारी 18-20 रू0 के अनुसार अकृषिक भूमि को आबादी हेतु घोषित किया जाता है। तहसीलदार इटावा की रिपोर्ट दि0 09-10-08/25-11-08 आदेश का अंग रहेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद0 आ0 का0 पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 27-02-2009

(रमा शंकर गुप्ता)
उप जिलाधिकारी, इटावा।